

पत्रांक-7/जाति-19-11/2008 का.-  
झारखण्ड सरकार,  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,  
फिदेलिस टोपों  
सरकार के संयुक्त सचिव।  
सेवा में,  
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त  
सभी उपायुक्त  
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी  
सभी अचल अधिकारी,  
झारखण्ड।

राची, दिनांक .....

विषय : अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के अभ्यर्थियों को निर्गत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र।  
प्रसंग : विभागीय परिपत्र संख्या-7/जा0नि0 19-11/2008 - 5682 दिनांक 22.10.2008

महोदय

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सदन में कहना है कि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के अभ्यर्थियों को निर्गत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र के प्रपत्र का निर्धारण प्रासंगिक परिपत्र के प्रपत्र-II द्वारा किया गया था। कार्मिक प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के सकल संख्या 3482 दिनांक 10.06.2002 के आलोक में 'क्रीमी लेयर' की अकारणता का समावेश सम्बन्धित प्रपत्रों में किया जाना आवश्यक था तद्विषयक सशोधित प्रपत्र-II की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति सलग्न है।

विभागीय परिपत्र संख्या-5682 दिनांक 22.10.2008 की कड़िका-2 इस हद तक सशोधित समझी जायेगी।

अनुलग्नक-यथावत।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(फिदेलिस टोपों)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक-7/जाति-19-11/2008 का.-

...../राची दिनांक .....

प्रतिलिपि-अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित, सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक-7/जाति-19-11/2008 का-...../रांची, दिनांक .....

प्रतिलिपि-अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/सचिव, झारखण्ड कर्मचारी बचत आयोग/झारखण्ड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पथद की सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पेषित।

H0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक-7/जाति-19-11/2008 का-...../रांची, दिनांक .....

प्रतिलिपि-अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित, विभागीय प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट किया जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।

## FORM-II

FORM OF CASTE CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY EXTREMELY BACKWARD CLASSES/BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO THE POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND

This is to certify that Smt. Kumari \_\_\_\_\_  
 son/daughter of \_\_\_\_\_ resident of Village/Town \_\_\_\_\_  
 P.S. \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_

of Jharkhand belongs to the \_\_\_\_\_ community which is recognised as an Extremely Backward Class (Annexure-I)/Backward Class (Annexure-II) of the Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act-2001, 2002.

This is to also verify that he/she does not belong to the persons sections (Creamy Layer) mentioned in Column-3 of the Schedule to the OM No.-36012/2293-ESU(SCT) dated 08.09.1993 of Department of Personnel & Training, Government of India as adopted by the Department of Personnel, Administrative Reforms and Official Languages vide Resolution No.-3482, dated 10.06.2002.

Place :-

Signature of Competent Officer

Date :-

Name \_\_\_\_\_

Post \_\_\_\_\_

**(Official Seal)****(Note-Strike which is not applicable)**

1. Caste/Sub-Caste mentioned in Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act-2001.
2. The castes included in the list of Extremely Backward Classes/Backward Classes under Section-2 of the Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act-2001 vide Resolution No.3885, dated 05.11.2011, 801 dated 11.02.2003, 3436 dated 28.06.2004, 6588 dated 08.12.2004, 6374 dated 11.12.2004, 368 dated 19.01.2006, 2739 dated 01.06.2006, 3706 dated 15.07.2006, 4447 dated 24.08.2006, 5187 dated 26.09.2006, 1604 dated 28.03.2007, 243 dated 11.01.2008, 5109 dated 23.09.2008, 4450 dated 01.08.2011, 5826 dated 19.09.2011, 693 dated 26.06.2011, 6580 dated 20.10.2011, 8060 dated 17.12.2011, 144 dated 06.01.2012, 855 dated 27.03.2012 and as revised from time to time.

## प्रपत्र-II

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पुत्री

ग्राम/शहर

थाना

जिला

झारखण्ड के रहने

वाले/की रहने वाली हैं। वह झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की शिकिया में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-2001 की धारा-2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पिछड़ा वर्ग) के रूप में मान्यता प्राप्त

समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ये कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 3462 दिनांक 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के कार्यालय आपन संख्या-36012/22/93 स्प/0(एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के खण्ड-3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (कीमती अर्थ) में शामिल नहीं है।

स्थान :-

अधम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तिथि :-

दिनांक

स्थान

(कार्यालय की मुहर)

(नोट: जो आयु नहीं हो, उस को दिया जाता है।)

- \* झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की शिकिया में आरक्षण (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-2001 की धारा-2 में उल्लिखित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की शिकिया में आरक्षण के लिए न.सं.संख्या 3885, दिनांक-06.11.2001, 001 दिनांक 11.02.2003, 002 दिनांक 04.09.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 09.01.2005, 3750 दिनांक 01.06.2006, 1206 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 1171 दिनांक 06.09.2006, 1604 दिनांक 28.09.2007, 241 दिनांक 11.01.2008, 5138 दिनांक 23.02.2008, 2403 दिनांक 01.02.2011, 5826 दिनांक 09.08.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 3881 दिनांक 05.10.2011, 3366 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2955 दिनांक 07.02.2012 के अधीन आती हैं।